

माननीय जवाहर लाल गुप्ता के समक्ष

एम/एस समाना स्टील पाइप्स प्रा. लिमिटेड.,- याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत का संघ और

अन्य, - उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 10438 सन् 1989

28 सितंबर, 1993

**केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944- धारा 11-ए-केंद्रीय
उत्पाद शुल्क नियम, 1944- नियम 56- ए और 57- ए- नियम 174- वित्त
मंत्रालय द्वारा 20 मई, 1988 की केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना-
पट्टियाँ और फ्लैट्स से निर्मित ट्यूबों और पाइपों पर उत्पाद शुक्ल
देने पर छूट - हालांकि, पट्टियों से बने ट्यूबों और पाइपों को छूट
नहीं दी गई है सवाल यह है कि क्या पाइप पट्टियों या पट्टियों और
फ्लैटों से बने हैं, जिसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है जिसे**

रिट न्यायशास्त्र में तय नहीं किया जा सकता है इस सवाल का फैसला सक्षम अधिकारियों द्वारा क़ानून के तहत किया जा सकता है - अपील का वैकल्पिक उपचार- रिट सक्षम नहीं -केवल रिट याचिका को स्वीकार करने से यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है-निर्माता को नियम 174 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने का आदेश अनुच्छेद 226 के तहत रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

अभिनिर्णित, कि अगर यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता वैध रूप से लाइसेंस प्राप्त करने के अपने दायित्व पर विवाद करने का हकदार था, उसके पास कानून के तहत एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय था।

पैरा 23)

इसके अतिरिक्त अभिनिर्णित कि, केवल याचिका को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं हो सकता कि इस न्यायालय को साक्ष्य

दर्ज करना होगा और तथ्य के निष्कर्ष दर्ज करने होंगे।

पैरा 24)

इसके अतिरिक्त अभिनिर्णित, यह निर्णय लेना उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता बार और स्ट्रिप्स और फ्लैटों का उपयोग कर रहा है। यह अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकारी के लिए है।

पैरा 24)

इसके अतिरिक्त अभिनिर्णित किया गया कि तथ्यों पर एक वास्तविक विवाद है जिसे रिट कार्यवाही में हल नहीं किया जा सकता है। इस मामले को तय करने के लिए एकमात्र सक्षम मंच विभाग है।

पैरा 17)

एच. एस. साहनी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

**जी. बी. एस. सोधी, अधिवक्ता, रघबीर चौधरी,
अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए।**

निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता।

(1) 26 रिट याचिकाओं के इस समूह में याचिकाकर्ता ने सिविल रिट याचिका क्रमांक 10438 ऑफ 1989, 7263 ऑफ 1991, 12156, 5839, 5960, 5979, 5990, 6013, 6024, 6025, 6026, 6027, 6029, 6030, 6031, 6032, 604 5, 6046, 6227, 6372, 1992 के 6442, 6471, 6950, 7384, 7551 और 8555 में दावा किया है कि वे स्ट्रिप्स और प्लैट्स से पाइप का निर्माण कर रहे हैं, न कि बार से। परिणामस्वरूप, उनका दावा है कि वे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करने या उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। उत्तरदाताओं ने इस पर विवाद किया और दावा किया कि याचिकाकर्ता बार से पाइप का

निर्माण कर रहे हैं और इस प्रकार वे उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। मामले का रिकॉर्ड काफी बड़ा है। हालाँकि, जो मुद्दा विचार के लिए उठता है वह संक्षिप्त है। क्या याचिकाकर्ता बार से पाइप का निर्माण कर रहे हैं और इस प्रकार उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं? क्या यह प्रश्न रिट याचिका में निर्धारित किया जा सकता है? पक्षों के विद्वान वकील ने केवल 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 10438 में बताए गए तथ्यों का उल्लेख किया है। इन पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है।

(2) याचिकाकर्ता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसने "विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया के साथ नाली पाइप..." के निर्माण के लिए एक छोटी स्केल इकाई स्थापित की है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता हॉट रोल्ड स्ट्रिप्स/फ्लैट्स का उपयोग करके पाइप बनाता है जिसे वह मंडी गोबिंदगढ़ में स्थित विभिन्न मिलों से खरीदता है। स्ट्रिप्स/फ्लैट को रोलर्स के माध्यम से पारित किया जाता है जो उन्हें एक गोल आकार देता है और जब वेल्डिंग इकाइयों के माध्यम से पारित

किया जाता है, तो तैयार उत्पाद का उत्पादन होता है जिसे नाली पाइप कहा जाता है। याचिकाकर्ता का मामला है कि वह 3 मिमी से कम मोटाई और 75 मिमी से 182 मिमी की चौड़ाई वाले स्ट्रिप्स के प्लैट का उपयोग करता है। यह इकाई 27 मई, 1988 को उत्पादन में आई।

(3) 9 अगस्त 1989 को, प्रतिवादी सं. 3, अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज I, पटियाला ने याचिकाकर्ता के कारखाने परिसर का दौरा किया। उन्होंने उसी दिन एक आदेश पारित किया जो इस प्रकार है:-

"कृपया 9-8-1989 को आपकी यूनिट में मेरी यात्रा का संदर्भ लें।

आपसे अनुरोध है कि आप सी.ई. लाइसेंस के लिए तुरंत आवेदन करें, क्योंकि आपके द्वारा निर्मित सामान अधिसूचना संख्या 202/88 दिनांक 20-5-1988 के तहत छूट का आनंद नहीं लेते हैं। आपको उचित दरों पर शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने कारखाने से अंतिम उत्पाद निकालना चाहिए।"

(4) याचिकाकर्ता उपरोक्त आदेश से व्यथित है। यह कहा गया है कि विवाद तब शुरू हुआ था जब गोबिंदगढ़ की स्टील रोलिंग मिल्स ने इस न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। 1989 की सिविल रिट याचिका सं. 7747, 7860 और 7871 में दावा किया गया कि वे बार का निर्माण कर रहे थे, स्ट्रिप्स/फ्लैट का नहीं और इस प्रकार, रुपए की दर से उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। की जगह 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन। 700 प्रति मीट्रिक टन. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे "200 रुपये प्रति मीट्रिक टन के अंतर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि विभाग को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण यह नुकसान हो रहा है।" यह कहा गया है कि 20 मई, 1988 की अधिसूचना के अनुसार, ट्यूबों और पाइपों का निर्माण 5 मिमी से अधिक मोटाई की स्ट्रिप्स और फ्लैट्स के उपयोग से नहीं किया जाता है। ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है. इस आधार पर, यह दावा किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित सामान केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से पूरी तरह से छूट प्राप्त है और विवादित आदेश

मनमाना और अवैध है। इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। इस आधार पर, याचिकाकर्ता का दावा है कि 9 अगस्त 1989 के उस आदेश को रद्द किया जाए जिसमें उसे लाइसेंस प्राप्त करने और उत्पाद शुल्क के भुगतान के बाद माल खाली करने के लिए कहा गया था।

(5) प्रतिवादी सं. 3 द्वारा एक लिखित बयान दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित पाइप और ट्यूब को 20 मई, 1988 की अधिसूचना के तहत शुल्क से छूट दी जा सकती है यदि सामान स्कैल्प के उपयोग से निर्मित किया गया हो। हुप्स, शीट, स्ट्रिप्स या फ्लैट्स 5 मिमी से अधिक नहीं। मोटाई में और यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 56ए और 57ए के तहत किसी भी क्रेडिट का दावा किए बिना कच्चे माल के निर्माता द्वारा शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। हालांकि, वर्तमान मामले में, "याचिकाकर्ता अपने उत्पादों का निर्माण कर रहा है 'बार्स की मोटाई 3

मिमी से कम है' और उक्त उत्पाद उपरोक्त अधिसूचना के तहत छूट का हकदार नहीं है।" इस स्थिति में याचिकाकर्ता से केंद्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस के लिए आवेदन करने का अनुरोध किया गया था। इस आधार पर, यह दावा किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित वस्तुओं को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है। इस कथन के समर्थन में, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के साथ संलग्नक पी. 5 और पी. 6 के रूप में प्रस्तुत दो गेट-पास की फोटो प्रतियों पर भरोसा किया है, जो दर्शाता है कि उसने 3 मिमी से नीचे की मोटाई में छड़ें खरीदी थीं, ए.के. स्टील इंडस्ट्रीज, गोबिंदगढ़ से। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसे रुपये के अंतर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 200/- प्रति टन देने से इनकार कर दिया गया है। इन परिसरों में, यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है और प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश कानूनी और वैध है।

(6) याचिकाकर्ता ने प्रतिकृति दाखिल की है. याचिका में दिए गए कथनों को दोहराया गया है। आगे कहा गया है कि "याचिकाकर्ता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग (छोटी ईआरडब्ल्यू प्रक्रिया के लिए) द्वारा पाइप और ट्यूब का निर्माण कर रहा है और इस प्रक्रिया द्वारा पाइप और ट्यूब केवल फ्लैट रोल्ड उत्पादों से निर्मित किए जा सकते हैं। पाइपों का निर्माण बार से नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति है इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने अपने लिखित बयान में स्वीकार कर लिया था, जिसके साथ उन्होंने 1989 के सीडब्ल्यूपी सं. 7747 में दायर अनुबंध आर-3 संलग्न किया था..."। कुछ मामलों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्वर्ण अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का भी संदर्भ दिया गया है।

(7) मैंने पक्षों के विद्वक अधिवक्ता को सुना है।

(8) सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं के विद्वक अधिवक्ता श्री एचएस साहनी ने तर्क दिया है कि विवादित आदेश अमान्य है क्योंकि

इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (इसके बाद) की धारा 11 ए के तहत आवश्यक किसी भी अवसर के अनुदान के बिना जारी किया गया था। 'अधिनियम' के रूप में जाना जाता है)। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 174 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले इनपुट प्लैट या स्ट्रिप्स हैं, न की बार। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों को उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने खारिज कर दिया है।

(9) वर्ष 1944 से पहले, उत्पाद शुल्क की वसूली और भुगतान को नियंत्रित करने वाले कम से कम 10 उत्पाद शुल्क अधिनियम और वैधानिक नियमों के विभिन्न सेट थे। वर्ष 1944 में सभी कानूनों को एक अधिनियम में समेकित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 (1944 का अधिनियम सं. 2) प्रख्यापित किया गया था। इस अधिनियम के बाद केंद्रीय उत्पाद

शुल्क नियम, 1944 की घोषणा की गई। इसके बाद, विभिन्न अधिसूचनाएं और विभागीय निर्देश जारी किए गए हैं।

(10) उत्पाद शुल्क सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है, उत्पाद शुल्क के आरोपण और संग्रहण को नियंत्रित करने वाली लगभग एक पूरी संहिता तैयार की गई है। लाइसेंस प्राप्त करने का प्रावधान धारा 6 में किया गया है और इसलिए प्रक्रिया नियम 174 में निर्धारित की गई है। इन प्रावधानों के अनुसार, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माता को एक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है और “वह ऐसे सामानों के संबंध में प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य तरीके से अपना व्यवसाय नहीं कर सकता है, और एक विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अधीन है उचित रूप में।”

(11) नियम 174ए केंद्र सरकार को किसी भी सामान या सामान के वर्ग को नियम 174 के संचालन से छूट देने के लिए अधिकृत करता

है, जो उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट प्राप्त है या निर्माताओं के किसी भी वर्ग जो अपने सामान का निर्माण किसी अन्य व्यक्ति से अपने खाते पर करवाते हैं या व्यक्ति या सामान जो मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित या निर्मित होते हैं। जब तक आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती है, कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के तहत और अधिनियम के तहत दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अनुसार अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी सामान के उत्पादन या निर्माण में संलग्न नहीं हो सकता है। क्या याचिकाकर्ता निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण में लगा हुआ है?

(12) याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित स्टील के ट्यूब और पाइप केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अध्याय 73 में शामिल हैं। उत्पाद शुल्क की दर भी निर्धारित की गई है। परिणामस्वरूप, धारा 6 और नियम 174 के प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ता उत्पाद शुल्क योग्य सामान का निर्माण कर रहा है और इस प्रकार, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे वित्त मंत्रालय

द्वारा 20 मई, 1980 की अधिसूचना के माध्यम से छूट दी गई है। इस अधिसूचना के प्रासंगिक भाग पर ध्यान देना उचित है जो इस प्रकार है:-

“सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क बुलेटिन नं

सी. एक्स. 9/88-89, दिनांक 23 मई, 1988 अधिसूचना सं।

202/88-केंद्रीय अपवाद?20 मई की तारीख, 1988/30 वैशाख?1910

(साका)।”

(13) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के उप-नियम (1) तेल नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 1988 में भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार एतद्वारा संलग्न तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट विवरण (ऐसी वस्तुओं को इसके बाद "अंतिम उत्पाद" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अध्याय

72, अध्याय 73 या शीर्षक संख्या 84,54 के भीतर आने वाली वस्तुओं को उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क से छूट देती है।

(14) बशर्ते कि ऐसे अंतिम उत्पाद उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट विवरण के किसी भी माल से बनाए जाते हैं (ऐसे माल को इसके बाद "इनपुट" के रूप में संदर्भित किया जाता है) और उक्त अनुसूची के अध्याय 72 या अध्याय 73 के भीतर आते हैं, जिस पर उक्त अनुसूची के तहत उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के तहत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है।

(15) बशर्ते कि उक्त अधिनियम के नियम 56ए या नियम 57ए के तहत भुगतान किए गए शुल्क का कोई श्रेय नहीं लिया गया हो।

व्याख्या:—

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए देश में निवेश के

सभी स्टॉक, ऐसे स्टॉक को छोड़कर जिन्हें स्पष्ट रूप से गैर-शुल्क भुगतान या शुल्क की शून्य दर के लिए प्रभारित होने के रूप में पहचाना जाता है, उन निवेशों को माना जाएगा जिन पर शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

तालिका

श्री. निविष्टियों का विवरण

0 1)	(2) (3)
XX	XX XX
3.	स्केल्प, हुप्स, मोटाई की चादरें ट्यूब और पाइप और 5 मि. मी. से अधिक नहीं, स्टील के स्ट्रिप्स रिक्त स्थान
XX	XX XX

सी. पी. श्रीवास्तव, भारत सरकार के अवर सचिव।

(16) उपरोक्त अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि ट्यूब और पाइप का निर्माता छूट का दावा कर सकता है यदि:-

(i) माल का उत्पादन 5 मिमी से अधिक मोटाई के स्केलप, हुप्स, शीट, स्ट्रिप्स और फ्लैट्स का उपयोग करके किया गया है;

(ii) अंतिम उत्पाद उन वस्तुओं से बने होते हैं जिन पर उक्त अनुसूची के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51)

के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क, जैसा भी मामला हो, का भुगतान पहले ही किया जा चुका है; और

(iii) उक्त नियमों के नियम 56ए या नियम 57ए के तहत इनपुट पर भुगतान किए गए शुल्क का कोई क्रेडिट नहीं लिया गया है।

(17) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता का दावा है कि वह 5 मिमी से अधिक मोटाई की स्ट्रिप्स और फ्लैट्स का उपयोग करके अंतिम उत्पाद का निर्माण कर रहा है। उत्तरदाता इस पर विवाद करते हैं। उनका दावा है कि याचिकाकर्ता सरिये का इस्तेमाल कर रहा है। रिकॉर्ड से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता एके स्टील इंडस्ट्रीज से 3 मिमी मोटाई से कम की छड़ें खरीद रहा था। याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी. 5 और पी. 6 के रूप में प्रस्तुत दो दस्तावेजों की प्रतियां स्पष्ट रूप से बार की खरीद को दर्शाती हैं। इस स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं ने पूरी तरह से झूठी दलील दी है या याचिकाकर्ता ने पाइप निर्माण की प्रक्रिया में कभी भी सरियों का उपयोग नहीं किया है। किसी भी मामले में, तथ्यों पर एक वास्तविक विवाद है जिसे रिट कार्यवाही में हल नहीं किया जा सकता है। इस मामले पर निर्णय लेने के लिए सक्षम एकमात्र मंच विभाग है।

(18) हालाँकि, श्री साहनी ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि यह अकल्पनीय है कि पाइप का एक निर्माता इनपुट के रूप में बार

का उपयोग करेगा न कि स्ट्रिप्स या फ्लैट्स का। उन्होंने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई याचिका स्पष्ट रूप से अस्थिर थी। क्या यह न्यायालय यह निर्धारित कर सकता है कि याचिकाकर्ता बार, स्ट्रिप्स या फ्लैट्स का उपयोग करके पाइप का निर्माण कर रहा है या नहीं?

(19) एक रिट अदालत इस प्रश्न का निर्धारण करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता है। यह विशेषज्ञों को निर्णय लेने का विषय है। यह संबंधित प्राधिकारी के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। इस तरह के प्रश्न का निर्णय इस न्यायालय द्वारा अपने रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में नहीं किया जा सकता है। भाव अर्थात्. बार, स्ट्रिप या फ्लैट का उद्योग में एक निश्चित अर्थ होता है और अधिकारियों द्वारा समझा जाता है। ऐसे प्रश्न का निर्धारण आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है।

(20) इस स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को लाइसेंस प्राप्त करने और

उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए बुलाने से पहले, धारा 11ए के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करना प्राधिकारी का दायित्व था ।

उक्त प्रावधान इस प्रकार है:-

11ए. शुल्कों की वसूली जो नहीं लगाए गए या भुगतान नहीं किए गए या कम लगाए गए या कम भुगतान किए गए या गलती से वापस किए गए -

(1) जब कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम अवधि के लिए दिया गया है या कम अवधि के लिए भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है, तो एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, संबंधित तिथि से छह महीने के भीतर, उस शुल्क के लिए प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस दे सकता है जो कम अवधि के लिए या कम अवधि के लिए भुगतान नहीं किया गया है या जिसे गलती से धनवापसी की गई है,

जिसके लिए उसे कारण दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए:-

(1) बशर्ते कि जिसके द्वारा कोई शुल्क या उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम समय के लिए लगाया गया है या कम समय के लिए भुगतान किया गया है या धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत कथन के कारण गलती से वापस कर दिया गया है। ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का अतिक्रमण या तथ्यों का पर्यवेक्षण, या उल्लंघन, इस उप-धारा के प्रावधानों का प्रभाव इस तरह होगा जैसे "केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी" शब्दों के लिए, "छह महीने" शब्दों के लिए "केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर" शब्द।

व्याख्या:— चाहे नोटिस की सेवाओं पर अदालत के

आदेश द्वारा रोक लगा दी गई हो, इस तरह की रोक की अवधि को छह महीने या पांच साल से पहले की गणना में बाहर रखा जाएगा, जैसा भी मामला हो।

- (1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक कलेक्टर या, यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कलेक्टर, उस व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, जिस पर उप-धारा (1) के तहत नोटिस दिया गया है, ऐसे व्यक्ति से देय उत्पाद शुल्क की राशि निर्धारित करेगा (जो सूचना में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं है) और उस पर ऐसा व्यक्ति निर्धारित राशि का भुगतान करेगा।
- (1) इस खंड के प्रयोजनों के लिए:
 - (i) “रिफंड में भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली उत्पाद शुल्क की छूट या भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली उत्पाद

शुल्क की छूट शामिल है।

(i) “प्रासंगिक तिथि ”का अर्थ है -

(a) उन उत्पाद शुल्क के मामले में जिन पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है -

(A) जहाँ इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत एक मासिक विवरणी, जिसमें उस महीने के दौरान हटाए गए उत्पाद शुल्क का विवरण दिखाया गया है जिससे उक्त विवरणी संबंधित है, एक निर्माता या निर्माता या गोदाम के लाइसेंसधारी द्वारा दायर की जानी है, जिस तारीख को ऐसी विवरणी इस तरह से दाखिल की जाती है।

(A) जहां उपरोक्त के रूप में कोई मासिक विवरणी

दाखिल नहीं की जाती है, वह अंतिम तिथि जिस पर उक्त नियमों के तहत ऐसी विवरणी दाखिल की जानी है;

(A) किसी भी मामले में, वह तारीख जिस पर इस अधिनियम या उसके बनाए गए नियमों के तहत शुल्क का भुगतान किया जाना है;

(a) ऐसे मामले में जहां इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उत्पाद शुल्क का अस्थायी रूप से आकलन किया जाता है। अंतिम मूल्यांकन के बाद शुल्क के समायोजन की तिथि;

[

(a) उत्पाद शुल्क के मामले में, जिस पर उत्पाद शुल्क गलती से वापस कर दिया गया है, ऐसे धनवापसी की तारीख।”

(22) उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि यह उस शुल्क की वसूली से संबंधित है जो लगाया या भुगतान नहीं किया गया है। इसका लाइसेंस देने से कोई संबंध नहीं है। परिणामस्वरूप, यह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से आकर्षित नहीं है। हालाँकि, श्री साहनी ने **गोकक पटेल वोल्कार्ट लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बेलगाम** , और वी. मेधुमिलन सिंटेक्स प्रा. लिमिटेड और अन्य यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य² पर भरोसा जताया। इनमें से किसी भी मामले का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। गोकक पटेल के मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया कि नोटिस जारी करना धारा 11ए(2) के तहत मांग उठाने से पहले की शर्त है। इसी प्रकार, मधुमिलन सिंटेक्स के मामले में, यह माना गया कि किसी भी व्यक्ति से "गैर-लेवी या कम-लेवी या शुल्क के कम भुगतान के संबंध में कोई भी मांग करने से पहले,

¹एआईआर 1987 एससी 1161

²एआईआर 1988 एससी 1236।

नोटिस में उसे कारण बताने की आवश्यकता होती है कि उसे रकम का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए नोटिस में निर्दिष्ट, उसे तामील किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, किसी भी राशि के भुगतान के लिए कोई मांग नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता को केवल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बुलाया गया था। यह आदेश प्रतिवादी संख्या के बाद पारित किया गया था। 3 ने याचिकाकर्ता के कारखाने के परिसर का दौरा किया था। धारा 11ए का प्रावधान लागू नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए विवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(23) किसी भी घटना में, भले ही यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता लाइसेंस प्राप्त करने के अपने दायित्व पर विवाद करने का वैध रूप से हकदार था, उसके पास कानून के तहत एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय था। वास्तव में, श्री साहनी ने यह स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता लागू आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता था। यह स्वीकारोक्तिपूर्वक नहीं किया गया था। यदि कोई अपील दायर की गई

होती, तो उपयुक्त प्राधिकारी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद तथ्यों का निर्धारण करता और सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचता। याचिकाकर्ता ने बिना किसी उचित कारण के उस कार्रवाई से बचने का विकल्प चुना है।

(24) हालाँकि, श्री साहनी का कहना है कि रिट याचिका स्वीकार होने के बाद, याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। याचिका अक्षम्य है। वर्तमान जैसे मामले में जिसमें तथ्यों के निर्धारण की आवश्यकता है, रिट याचिका का उपाय पूरी तरह से गलत है। वास्तव में क़ानून के तहत अपील आदि के माध्यम से प्रदान किया गया उपाय ही एकमात्र उचित उपाय है। नतीजतन, केवल याचिका स्वीकार करने का मतलब यह नहीं हो सकता कि इस न्यायालय को साक्ष्य दर्ज करना होगा और तथ्य के निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना होगा। इस मामले की परिस्थितियों में, याचिका कायम नहीं रखी जा सकती। यह तय करना उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है कि

याचिकाकर्ता बार एंड स्ट्रिप्स और प्लैट्स का उपयोग कर रहा है या नहीं। यह अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकारी के लिए है।

(25) किसी अन्य बिंदु पर आग्रह नहीं किया गया.

(26) तदनुसार, इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए इन्हें खारिज कर दिया गया है। हालाँकि, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा